

**न्यायालय:—श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर,  
जिला—बालाघाट (म.प्र.)**

आप. प्रक. क.—132 / 2014  
संस्थित दिनांक—17.02.2014  
फाइलिंग नं.—234503000092014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—गढ़ी,  
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **अभियोजन**

// **विरुद्ध** //

सुधीर महानंदा पिता नरहरदास महानंदा, उम्र—25 साल जाति पनिका,  
निवासी ग्राम—परसामउ, थाना गढ़ी,  
जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **आरोपी**

// **निर्णय** //

**(आज दिनांक—14 / 10 / 2016 को घोषित)**

1— आरोपी सुधीर महानंदा के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—341, 354, 506 भाग—2 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—20.01.2014 को शाम 4—5 बजे थाना गढ़ी के अन्तर्गत चेतना बिल्डिंग के पास फरियादी पुष्पाबाई को कमरे में बंद कर निश्चित परिसीमा से परे जाने से निवारित कर सदोष कारित किया, फरियादी पुष्पाबाई जो कि एक स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर उसे पटकने की कोशिश कर उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया, फरियादी पुष्पाबाई को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी पुष्पाबाई ने दिनांक—21.01.2014 को पुलिस थाना गढ़ी आकर यह रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक—20.01.2014 को वह शौच के लिए चेतना बिल्डिंग के पास गई थी। जब वह वापस आ रही थी, तब शाम को करीब 4—5 बजे आरोपी सुधीर महानंदा पिता नरहरदास ने बुरी नियत से चुपचाप उसके पीछे आ गया और उसका हाथ पकड़ लिया। आरोपी ने उसका मुंह दबाया और चेतना बिल्डिंग के अंदर ले गया और उसे पटकने की कोशिश की, जब वह चिल्लाई तो उसका पति वहां आ गया तब आरोपी वहां से भाग गया। रात्रि हो जाने से वह रिपोर्ट दर्ज कराने नहीं गई। घटना के अगले दिन उसने रिपोर्ट दर्ज कराई। फरियादी की उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी सुधीर महानंदा के विरुद्ध अपराध क्रमांक—07 / 2014, धारा—354(ख), 341, 506बी भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा

आहत का मेडिकल परीक्षण कराया गया, पुलिस ने अनुसंधान के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया, गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-341, 354, 506 भाग-2 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादी पुष्पाबाई ने आरोपी से राजीनामा कर लिया है। अतः आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-341, 506 भाग-2 के अपराध से दोषमुक्त किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-354 के शमनीय न होने से विचारण किया गया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-20.01.2014 को शाम 4-5 बजे थाना गढ़ी के अन्तर्गत चेतना बिल्डिंग के पास फरियादी पुष्पाबाई जो कि एक स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर उसे पटकने की कोशिश कर उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

#### विचारणीय बिन्दु का निष्कर्ष :-

5— फरियादिया पुष्पाबाई (अ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को पहचानती है। घटना वर्ष 2014 की है। वह शौच के लिए गई थी तो कोई अज्ञात व्यक्ति उसके पीछे-पीछे आ रहा था, तो उसने भागकर अपने आपको बचाया और घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना गढ़ी में दर्ज करा दी। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 है, जिसके अ से अ भाग उसने अंगूठा लगाया था। पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि दिनांक-20.01.2014 को आरोपी सुधीर महानंदा ने बुरी नियत से उसे पकड़कर उसका मुंह दबाया था और उसे पकड़कर चेतना बिल्डिंग के कमरे में ले गया था। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया कि आरोपी ने उसे पटकने की कोशिश की थी और उसके चिल्लाने पर आरोपी उसे छोड़कर भाग गया था। साक्षी ने रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 तथा मौकानक्शा प्रदर्श पी-2 में आरोपी द्वारा बुरी नियत से उस पर बल प्रयोग करने की बात लेख नहीं कराना व्यक्त किया है।

6— अभियोजन साक्षी विष्णुदास (अ.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना वर्ष 2014 की है। उसकी पत्नी शौच से लौट रही थी तब किसी आत व्यक्ति ने उसका पीछा किया था, जिसके विषय में उसने पुलिस थाना गढ़ी

में अपनी पत्नी के साथ जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी ने उसकी पत्नी की बेईज्जती करने के आशय से पकड़ा था और खींचतान की थी। साक्षी ने अपने पुलिस कथन प्रदर्श पी-4 में आरोपी द्वारा आपराधिक बल प्रयोग किये जाने की बात लेख नहीं कराना व्यक्त किया है। प्रकरण में फरियादी द्वारा आरोपी को साक्षी ने कहा है कि उसने पुलिस कथन प्रदर्श पी-3 पुलिस को नहीं लेख कराया था।

7— प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हो जाने से आरोपी को शमनीय प्रकृति की धारा-341, 506 भाग-2 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में दोषमुक्त किया जा चुका है तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-354 शमनीय न होने से निर्णय किया जा रहा है। प्रकरण में फरियादी पुष्पाबाई (अ.सा.1) ने कहा है कि उसने घटना के विषय में किसी अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी, यही बात साक्षी विष्णुदास अ.सा.2 जो कि फरियादी पुष्पाबाई का पति है ने भी अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है, इसके अतिरिक्त अभियोजन साक्षियों ने अपने पुलिस कथन प्रदर्श पी-3 व प्रदर्श पी-4 तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 में आरोपी द्वारा फरियादी पुष्पाबाई की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग नहीं करना व्यक्त किया। ऐसी स्थिति में आरोपी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-354 का अपराध किये जाने के तथ्य सन्देह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते। आरोपी को उपरोक्त धारा में सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

8— प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहा है। उक्त के संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र तैयार किया जाये।

9— प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा 437 (क) के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीष कौलाश शुक्ल)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट

(श्रीष कौलाश शुक्ल)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट